

**26.2.2015 को नई दिल्ली में आयोजित नदियों के अंतर्गर्जन (न.के.अं.) की परियोजना के मुद्दों पर उपलब्ध भिन्न अध्ययनों/ रिपोर्टों के व्यापक आकलन के लिए गठित उप-समिति और सबसे उपयुक्त विकल्प योजना की पहचान के लिए गठित प्रणाली अध्ययनों की उप-समिति की प्रथम संयुक्त बैठक का कार्यवृत्त।**

2002 के प्रदेश याचिका संख्या 668 सहित "नदियों के अंतर्गर्जन" के विषय पर 2002 के प्रदेशयाचिका (सिविल) संख्या 512 के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिनांकित 27.02.2012 के अनुपालन स्वरूप, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय ने राजपत्र अधिसूचना दिनांकित 23 सितम्बर, 2014 के माध्यम से नदियों के अंतर्गर्जन की परियोजना की विशेष समिति नामक एक समिति का संस्थापन किया। 17.10.2014 को आयोजित नदियों के अंतर्गर्जन (न.के.अं.) की परियोजना की विशेष समिति के प्रथम बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार, कार्यालय ज्ञापन संख्या 13.2.2015 के माध्यम से ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय द्वारा तीन उप-समितियों (i) नदियों के अंतर्गर्जन (न.के.अं.) की परियोजना के मुद्दों पर उपलब्ध भिन्न अध्ययनों/ रिपोर्टों के व्यापक आंकलन के लिए गठित उप-समिति; (ii) सबसे उपयुक्त विकल्प योजना की पहचान के लिए गठित प्रणाली अध्ययनों की उप-समिति; और (iii) रा.ज.वि.अ. के पुनःसंरचन के लिए गठित उप-समिति, का संस्थापन किया गया था। श्री बी.एन.नवलावाला, मुख्य सलाहकार, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय के अध्यक्षता के तहत 26.02.2015 को नई दिल्ली में उप-समिति (i) और (ii) की प्रथम संयुक्त बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक में उपस्थित रहने वाले सहभागियों की सूची संलग्नक-1 में प्रस्तुत की गई है। इस बैठक में चर्चित महत्वपूर्ण मुद्दों का सार नीचे प्रस्तुत किया गया है:-

- i. श्री बी.एन. नवलावाला, मुख्य सलाहकार, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय तथा नदियों के अंतर्गर्जन (न.के.अं.) की परियोजना के मुद्दों पर उपलब्ध भिन्न अध्ययनों/ रिपोर्टों के व्यापक आंकलन के लिए गठित उप-समिति के अध्यक्ष ने सभी सहभागियों का स्वागत किया और यह बताया कि नदियों के अंतर्गर्जन (न.के.अं.) की परियोजना के लिए गठित विशेष समिति द्वारा संस्थापित सभी तीन उप-समितियाँ आपस में संबंधित हैं और अतः इसलिए इन सभी उप-समितियों को एक-दूसरे के सहयोग से काम करना चाहिए।
- ii. अध्यक्ष ने ए.सी. त्यागी, महासचिव, अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल-निकास आयोग (अं.सिं.ज.आ.) द्वारा 25.02.2015 को भेजे गए ई-मेल के बारे में उल्लेख किया जिसमें उन्होंने सहजता पूर्वक उपलब्ध एक सामान्य माध्यम से सभी संबंधी दस्तावेजों/ रिपोर्टों की सॉफ्टकॉपी प्रदान करने का अनुरोध किया था। उन्होंने ड्रॉप बॉक्स बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने नदियों के अंतर्गर्जन की परियोजना के कार्यान्वयन के वर्तमान प्रस्तावों के विषय में जानकारी प्रदान करने की भी इच्छा प्रकट की।

अध्यक्ष ने बैठक में उपस्थित सभी लोगों से सदस्यों को सूचना प्रदान करने के मुद्दे पर सबकी राय माँगी। सदस्यों ने इस मुद्दे पर अपने-अपने विचार प्रकट किए। रा.ज.वि.अ. ने कई अध्ययन किए हैं और इसकी रिपोर्ट रा.ज.वि.अ. में उपलब्ध है। उप-समिति के सदस्यों को ये रिपोर्ट्स उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। यह अभिव्यक्त किया गया कि रा.ज.वि.अ. को प्रत्येक समाप्त अध्ययन रिपोर्टों पर एक पॉवर पॉइंट प्रस्तुतीकरण बनाना चाहिए।

कुछ सदस्यों के राय में सभी सदस्यों को हर प्रासंगिक रिपोर्टों की सार / प्रमुख विशेषताएं उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। उप-समूहों के व्यक्तिगत सदस्यों की विशेषज्ञता के आधार पर अधिक गहराई से अध्ययन का निर्णय लिया जा सकता है। विचारणीय विषयों के अनुसार, उप-समिति को रा.ज.वि.अ. द्वारा आयोजित भिन्न

रिपोर्टों/अध्ययनों पर विचार और मूल्यांकन करना होगा। सभी सदस्यों को रिपोर्टों की एक सूची सहित ये रिपोर्ट्स मुद्रित प्रारूप में प्रदान किया जाना चाहिए।

श्री एम. गोपालकृष्णन, पूर्व महासचिव, अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल-निकास आयोग (अं.सिं.ज.आ.), जो रा.ज.वि.अ. के पुनःसंरचन उप-समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने यह सूचित किया कि वे नदियों के अंतर्गोचन की परियोजना के कार्यबल से जुड़े हुए थे। उस दौर के समय कई रिपोर्ट्स तैयार की गई थी। उन्होंने इन रिपोर्टों को सार्वजनिक डोमेन में प्रस्तुत करते हुए सावधानी रखने को कहा है। अध्यक्ष ने इन उप-समितियों के कार्यालय उद्देश्य हेतु सदस्यों को भिन्न अध्ययन रिपोर्टों/ जानकारियों/ आंकड़ों के संप्रेषण का साधन/ प्रारूप तय करते समय इस "सावधानी" के प्रति निश्चित ध्यान देने की इच्छा प्रकट की है।

श्री पी.बी.एस. शर्मा, सी.इ.डी., आई.आई.टी., दिल्ली, ने अभिव्यक्त किया कि व्यापक अध्ययन में प्रत्येक लिंक के विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता है।

श्री ए.डी. मोहिले, पूर्व अध्यक्ष, के.ज.आ., ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रायद्विपीय अवयवों की रिपोर्ट प्रदान करने के प्रति सहमति जताई और सार्वजनिक डोमेन में हिमालयी अवयवों की रिपोर्टों को वर्गीकृत रख कर सावधानी रखने का सुझाव दिया। अध्यक्ष ने सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 के कार्य-क्षेत्रों और भिन्न प्रावधानों के दृष्टिकोण से इसकी जाँच करवाने की आवश्यकता और तदनुसार इस संबंध में शिकायत कार्यवाही किए जाने की इच्छा प्रकट की।

iii. बैठक के दौरान उपस्थित सदस्यों को निम्न रिपोर्ट्स हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध करवाए गए हैं:-

- नदियों के अंतर्गोचन (न.के.अं.) की परियोजना के कार्यबल की कार्य योजना-1 और कार्य योजना-11
- राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (रा.अ.आ.अ.प.) द्वारा नदियों के अंतर्गोचन की परियोजना का आर्थिक प्रभाव रिपोर्ट
- न.के.अं. की परियोजना पर जल संसाधन (2008-2009) के स्थायी समिति की इग्यराहवि रिपोर्ट और
- जल संसाधन (2009-10) के स्थायी समिति की इग्यराहवि रिपोर्ट में समाविष्ट संस्तुतियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।
- प्रति शपथ-पत्र, शपथ-पत्र और माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष शपथ-पत्र के रूप में दायर स्थिति रिपोर्ट

iv. बैठक में विचार-विमर्श किए जाने के पश्चात निम्न निर्णय लिए गए हैं:-

- रा.ज.वि.अ. द्वारा उप-समितियों के विचारणीय विषयों को संबोधित करने के लिए आवश्यक सभी उपलब्ध रिपोर्टों/ दस्तावेजों की सूची का संकलन किया जाएगा और 15 दिनों के अंदर सारांश/ संक्षिप्त विवरण सहित सदस्यों को प्रदान किया जाएगा।
- रा.ज.वि.अ. को उप-समितियों के सदस्यों का करीबी सहयोग प्रदान करना होगा और बारम्बार वार्तालाप करना होगा।
- उप-समितियों (i) और (ii) की अगली संयुक्त बैठक 26 मार्च, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित होगी।
- विचारणीय विषयों पर विचार-विमर्श के लिए दोनों उप-समितियों को अगली संयुक्त बैठक से पूर्व अलग से बैठक का आयोजन करना होगा।

- v. श्री एम. गोपालकृष्णन ने व्यक्त किया कि रा.ज.वि.अ. के पुनःसंरचन में उप-समिति का कार्य नदियों के अंतर्गर्जन (न.के.अं.) की परियोजना के मुद्दों पर उपलब्ध भिन्न अध्ययनों/ रिपोर्टों के व्यापक आंकलन के लिए उप-समिति के कार्य से अंतर-संबंधित है और अतः उन्होंने इच्छा प्रकट की है कि रा.ज.वि.अ. के पुनःसंरचन के लिए गठित उप-समिति का कार्य-काल को दो वर्षों से बढ़ाकर अन्य दो उप-समितियों के कार्य-काल के सामान कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि नदियों के अंतर्गर्जन की परियोजना के कार्यबल ने कई कार्य समूहों का स्थापन किया है और विभिन्न विशेषज्ञों, संसाधन संस्थान के सेवाओं का उपयोग इससे संबंधित भिन्न पहलुओं के शीघ्र विश्लेषण के लिए किया है।

अध्यक्ष को धन्यवाद जताते हुए बैठक समाप्त हुई।

26.2.2015 को नई दिल्ली में आयोजित नदियों के अंतर्गर्जन (न.के.अं.) की परियोजना के मुद्दों पर उपलब्ध भिन्न अध्ययनों/ रिपोर्टों के व्यापक आकलन के लिए गठित उप-समिति और सबसे उपयुक्त विकल्प योजना की पहचान के लिए गठित प्रणाली अध्ययनों की उप-समिति की प्रथम संयुक्त बैठक के सहभागी।

I. नदियों के अंतर्गर्जन (न.के.अं.) की परियोजना के मुद्दों पर उपलब्ध भिन्न अध्ययनों/ रिपोर्टों के व्यापक आकलन के लिए गठित उप-समिति

1. श्री बी.एन. नवलावाला मुख्य सलाहकार, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय	अध्यक्ष
2. श्री ए.डी. मोहिले पूर्व अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य
3. श्री ए.सी. त्यागी महासचिव, अं.सिं.ज.आ.	सदस्य
4. श्री एस.एन.हुदर पूर्व सचिव (ज.सं.वि.), महाराष्ट्र सरकार	सदस्य
5. श्री ए.डी. भारद्वाज, पूर्व महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. और पूर्व सदस्य, के.ज.आ.	सदस्य
6. प्रोफ़ेसर एस. इकबालहसनैन, सेवा-निवृत्त श्रेष्ठ पर्यावरणीय विशेषज्ञ	सदस्य
7. श्री के.पी. गुप्ता, अधीक्षण अभियंता, रा.ज.वि.अ.	सचिव

II. सबसे उपयुक्त विकल्प योजना की पहचान के लिए गठित प्रणाली अध्ययनों की उप-समिति

8. प्रोफ़ेसर पी.बी.एस. शर्मा (सेवा-निवृत्त), सी.ई.डी., आई.आई.टी., दिल्ली	अध्यक्ष
9. प्रोफ़ेसर संजीव कपूर, आई.आई.एम., लखनऊ	सदस्य
10. प्रोफ़ेसर कामता प्रसाद, अध्यक्ष, सं.प्र.आ.वि.सं, दिल्ली	सदस्य
11. श्री एम. इलनगोवन, पूर्व मुख्य अभियंता, के.ज.आ.	सदस्य
12. श्री श्रीराम वेदियर, सलाहकार, ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय	सदस्य
13. श्री एन.सी. जैन,	सचिव

निदेशक (तक), रा.ज.वि.अ.

**विशेष अतिथिगण:**

14. श्री एम. गोपालकृष्णन,  
पूर्व महासचिव, आई.सी.आई.डी.  
अध्यक्ष, रा.ज.वि.अ. के पुनःसंरचन की उप-समिति
15. श्री एस. मसूद हुसैन,  
महानिदेशक, रा.ज.वि.अ.
16. श्री आर.के. जैन,  
मुख्य अभियंता (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ.